राजस्थान विधान सभा
दशम् सत्र
कार्य-सूची
गुरूवार, दिनांक 22 फरवरी, 2018
बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य, विधान सभा, पाली स्थित पुनायता औद्योगिक क्षेत्र की इकाईयों को नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए पुरानी एवं स्थानान्तरित इकाई मानकर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के संबंध में उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री झाबर सिंह खर्रा, सदस्य, विधान सभा, सीकर जिले के ग्राम खुर्रमपुरा एवं जयपुर जिले के ग्राम खेजरोली के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर सीमाज्ञान करवाये जाने के संबंध में राजस्व राज्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि
(क) अधिसूचनायें

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, आयोजना विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

आयोजना विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015 दिनांक 17.11.2015 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में भामाशाह कार्ड को पहचान (प्रूफ ऑफ आईडेन्टीटी) एवं पते के प्रमाण (प्रूफ ऑफ एड्रेस) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है ;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 6.2.2017 जिसके द्वारा भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तान्तरण हेतु कतिपय योजनायें चिह्नित की गई हैं ;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.17(1)/21/भामाशाह/डीईएस/2016 दिनांक 24.7.2017 जिसके द्वारा राज्य में राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) अधिनियम, 2017 को दिनांक 15.8.2017 से प्रवृत्त किया गया है ; एवं
4. अधिसूचना संख्या:एफ.17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 5.12.2017 जिसके द्वारा भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तान्तरण हेतु कतिपय योजनायें चिह्नित की गई हैं ।

जारी..2..

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री केसाराम चौधरी, सभापति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2017-2018, शिक्षा विभाग के वर्ष 2013 के आश्वासनों की क्रियान्विति संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

5. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्रीमती अनिता कटारा, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी :-

1- विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा की ग्राम पंचायत भिलूड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) में क्रमोन्नत कराने बाबत् ।

2- विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा की कतिपय ग्राम पंचायतों का कार्य सीमलवाड़ा के अधिकारी परिषद स्तर से नहीं करवाकर पीडब्लूडी खण्ड सागवाड़ा द्वारा कराये जाने बाबत् ।

(II) श्री हीरालाल नागर, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सांगोद की हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना को स्वीकृत कर पेयजल की समस्या का समाधान करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(III) श्री अमृतलाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के स्टेट हाईवे 53 की चौकी से भीण्डर, सलूम्बर, कल्याणपुर एवं ऋषभदेव तक सड़क का निर्माण किये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(IV) श्री शंकरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा, नगर परिषद, दौसा के शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्वामित्व की सड़कों का नवीनीकरण एवं नाला निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(V) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र भीम में नवीन सैटेलाईट चिकित्सालय बनाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

जारी..3..

6. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018

(I) श्री अमराराम, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-5)

"कतिपय भूमि विधियों को निरसित करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

7. वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक, निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **जनलेखा समिति, 2018-2019** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **प्राक्कलन समिति 'क', 2018-2019** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **प्राक्कलन समिति 'ख', 2018-2019** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **राजकीय उपक्रम समिति, 2018-2019** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।"

जारी.4...

8. वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जनलेखा समिति, 2018-2019, प्राक्कलन समिति "क", 2018-2019, प्राक्कलन समिति "ख", 2018-2019 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2018-2019, प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है ।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें ।"

9. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

क्र.सं.	मांग संख्या		मुख्य शीर्षक
1.	**42**	**-**	**उद्योग**
2.	**43**	**-**	**खनिज**

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 21 फरवरी, 2018